न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 77/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
भंवराराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी शीलगांव तहसील मुण्डवा।		1नरसिंह 2मदन 3कंवराराम 4हुक्माराम पुत्रान मंगलाराम जातियान जाट निवासीगण शीलगांव तहसील मुण्डवा। 5सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा। 6पटवारी शीलगांव।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रीकांत व्यास अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से।
3. श्री कुंदनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 23.12.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 81/2017 सरकार बनाम नरसिंह में निर्णय दिनांक 29.08.17 के तहत मौजा शीलगांव के खसरा नं. 833 रकबा 1.05 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.09.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 25.09.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के निर्णय दिनांक 29.08.17 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, जमाबंदी शीलगांव संवत 2073–76 की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस किश्तवार की फोटोप्रति, खसरा पत्रक संवत 2015 की फोटोप्रति, खतोनी संवत 2011–14 की फोटोप्रति, खसरा पत्रक संवत 2015 की फोटोप्रति, जमाबंदी संवत 2011–14 की फोटोप्रति तथा जमाबंदी संतव 2022 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से श्री श्रीकांत व्यास तथा रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो पर गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–खसरा नं. 834 व खसरा नं. 835 के साबिका खसरा नं. 857 थे, इस प्रकार उक्त खेत पूर्व मे एकल खेत था। जिसके खसरा सं. 857 थे। अपीलांट के उपरोक्त खेत खसरा नं. 857 के मध्य किसी प्रकार का कोई रास्ता पूर्व मे कभी नही रहा तथा इसके अलावा जमाबंदी मे भी उक्त खेत खसरा नं. 857 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के अनुसार एकल खेत के रूप मे दर्ज है। जिसकी खातेदारी पूर्व मे अपीलांट के पिता मंगलाराम के नाम से दर्ज है। उक्त तथ्यो बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने जवाब पेश किया था किन्तु जवाब मे वर्णित तथ्यो पर बिना किसी प्रकार का गौर किये अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलांट के खेत खसरा नं. 857 के पश्चिमी तरफ खसरा नं. 841 आया हुआ है जिसकी

अपर कलक्टर, नागौर

माठ के सहारे कटाणी रास्ता पूर्व मे चलता था, जो रास्ता उत्तर से दक्षिण मौके पर चलता था तथा राजस्व रेकर्ड मे भी उक्त रास्ता इसी अनुसार दर्ज है। किन्तु वक्त सेटलमेंट संवत 2020 मे सेटलमेंट अधिकारियो ने अपनी मनमर्जी से उक्त कटाणी रास्ते को साबिका खसरा नं. 841 से हटाकर अपीलांट के खातेदारी के खेत खसरा नं. 857 मे दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेंअ कर्मचारियो व अधिकारियो को इस प्रकार से राजस्व रेकर्ड मे परिवर्तन करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नही था। अभी वर्तमान मे भी उक्त रास्ता खसरा नं. साबिका खसरा नं. 841 जिसके वर्तमान खसरा नं. 823 व 824 है, रास्ता वर्तमान मे खसरा नं. 824 मे चल रहा है। इसके विपरीत अपीलांट के खेत मे वर्तमान मे भी किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है। जिसको दुरूस्त करवाने हेतु अपीलांट ने सहायक कलक्टर, नागौर के समक्ष आवेदन भी पेश कर दिया है। जिसकी प्रति अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब के साथ पेश की थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये उसी दिन आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–धारा 91 एलआरएक्ट मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार अतिक्रमियो के विरूद्व संयुक्त रूप से कार्यवाही नही की जा सकती किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट व उसके भाईयो के विरूद्व संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए बिना विधिवत तामील करवाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा शीलगांव में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके शीलगांव के खसरा नंबर 833 रकबा 1.05 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर